राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेलः–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईटः– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/17/ 30827–31018 दिनांक :– 18/12/2017

आयुक्त नगर निगम समस्त
आयुक्त नगर परिषद समस्त
अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका समस्त।

विषयः– राज्य को 31 दिसम्बर 2017 से पूर्व खुले मे शौच से मुक्त घोषित करने तथा स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में बेहतर रेकिंग लाने बाबत।

संदर्भः– आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार का पत्र DO/PL/SBM/45/2017 दिनांक 09.08.2017 के क्रम में।

जैसा की आपको विदित है, राज्य में घरेलू शौचालयो/सामुदायिक शौचालयों/सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कर निकायो को खुले मे शौच से मुक्त घोषित किया जा रहा है। घरेलू शौचालयों का निर्माण लाभार्थियो द्वारा/संवेदकों के माध्यम से/प्रीकास्ट टॉयलेट का निर्माण कर करवाया जा रहा है। पूर्व में जारी आदेशों के अनुसार प्रतिलाभार्थी को घरेलू शौचालयों के निर्माण हेतु कुल रूपये 12000/– प्रतिशौचालय अनुदान राशि उपलब्ध करवायी जा रही है। जिन घरो में घरेलू शौचालयों के निर्माण हेतु पर्याप्त जगह नही है उनके लिए सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जाना है। सार्वजनिक स्थलों हेतु सार्वजनिक शौचालयो का निर्माण किया जाना है। सामुदायिक शौचालयों/सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण हेतु प्रति सीट रूपये 52267/– VGF दिया जा रहा है। शेष राशि नगर निकायों द्वारा वहन की जा रही है।

सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु स्थल का चयन नगर निकाय द्वारा किया जाकर भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) हेतु जारी गाइडलाईन के अनुसार निर्माण किया जा रहा है। यहा यह उल्लेखनीय है, कि आवश्यक शौचालयों का निर्माण व्यवसायिक क्षेत्रो मे प्रत्येक 500 मीटर पर सामुदायिक शौचालयों तथा प्रत्येक एक किलोमीटर पर सार्वजनिक शौचालयो का निर्माण किया जाना है। आवश्यक शौचालयो के निर्माण हेतु संवेदक के माध्यम से/प्रीकास्ट यूनिट लगाये जाने के निर्देश पूर्व मे जारी किये जा चुके है। रेल्व स्ट्रेशन/रेल्वे ट्रेक के आस–पास निम्न बिन्दुओं को ध्यान मे रखते हुये शौचालयों का निर्माण अतिशीघ्र कारवावें।

1. Railways Board Order of 30th April 2015 regarding provision of Mobile toilets/eco-friendly toilets for the use of encroachers in the railway land by the local Government to avoid human evacuation of railway Tracks still holds good.
2. Railways may allow mobile/eco-friendly toilets or prefab toilets with septic tanks on railway land provided.
   a) Toilets can only be provided on the land which is available after taking into consideration the safety zone requirement of 15 m from the outer most existing/proposed track.
   b) The toilets may be provided and maintained by the Urban Local Bodies after entering into an agreement with the railway authorities with the conditions that they are required to be removed as and when land is required by the railways No permanent construction will be allowed Only temporary construction. Which can be dismantled will be permitted. The maintenance of such toilets has to be ensured by the State Govt/Urban Local Bodies.
   c) A joint survey by the railway officials and the ULB officials is required to be conducted for each location to ensure that no ULB land is available in the vicinity of the encroachers of railway land.
3. Rehabilitation of encroaches on railway land is not allowed
4. Indian Railways is planning a cleanliness drive, Municipal Commissioners & Executive Officers of all cities/ULBs to participate in the cleanliness drive of the Indian Railways for cleaning the areas along and around the railway lines and to maintain cleanliness.

अतः अपको निर्देशित किया जाता है, कि भारत सरकार के निर्देशानुसार आवश्यक शौचालयों ा निर्माण करवाकर स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 मे अच्छी रेकिंग लाने के व्यक्तिगत प्रयास करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
दिनांक :– 18/12/2017

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ 16/ 31019–31069
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग।
3. संयुक्त सचिव आवासन एंव शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग।
6. निजी सचिव, मिशन निदेशक स्वच्छता।
7. जिला कलेक्टर समस्त।
8. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय।
9. निजी सहायक मुख्य अभियंता निदेशालय।
10. निजी सहायक मुख्य लेखाधिकारी निदेशालय।
11. उपनिदेशक क्षैत्रीय समस्त।
12. प्रोगामर निदेशालय विभागीय बेवसाईट पर अपलोड किया जाने हेतु।
13. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता